भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2622

जिसका उत्तर 16 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

***

पीएमकेएसवाई के तहत लाभार्थी

2622. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में पीएमकेएसवाई के तहत लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से सिद्धार्थ नगर और औरंगाबाद जिलों के लिए स्वीकृत धनराशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार का देश में किसानों के लिए कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करने और कुल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई नई योजना लाने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के लिए बजट कितना है; और

(घ) किसानों को उनके कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करने में सहायता करने के लिए कार्यान्वित की जा रही अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत पर पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, ऑन-फार्म जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, सतत जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना आदि है।

पीएमकेएसवाई एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक नामत: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) शामिल हैं। एचकेकेपी में चार उप-घटक होते हैं: कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर), और भूजल विकास (जीडब्ल्यू)। एचकेकेपी के सीएडी और डब्ल्यूएम उप-घटक को एआईबीपी के साथ मिलाकर (पेरी-पासू) कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अलावा, पीएमकेएसवाई में अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो घटक शामिल हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक, जो वर्ष 2015 में पीएमकेएसवाई की शुरुआत से दिसंबर, 2021 तक पीएमकेएसवाई का एक हिस्सा था। इसके बाद, इसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, और अब यह पीएमकेएसवाई का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा, पीएमकेएसवाई के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) को भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

पिछले दो वर्षों (2020-2022) के दौरान जारी केंद्रीय सहायता और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान जोड़े गए लाभार्थियों सहित पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के तहत लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

	उत्तर प्रदेश (केंद्रीय सहायता करोड़ रुपये में, लाभार्थियों की संख्या)		**महाराष्ट्र (केंद्रीय सहायता करोड़ रुपये में, लाभार्थियों की संख्या)**	
पीएमकेएसवाई के घटक	वर्ष 2020-2022 के दौरान जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 2020-2022 के दौरान जारी की गई केंद्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या
पीएमकेएसवाई-एआईबीपी	391.84	रखरखाव नहीं किया गया	580.92	रखरखाव नहीं किया गया
पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-सीएडीडब्ल्यूएम	6.00	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के साथ पेरी पासु	75.11	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के साथ पेरी पासु
पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-एसएमआई और आरआरआर	-	-	-	-
पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू	-	16,505	-	-
पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी*	350	1,92,253	500	1,01,5454
पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी	21.77	रखरखाव नहीं किया गया	50.08	रखरखाव नहीं किया गया

* दिसंबर, 2021 से, पीडीएमसी को पीएमकेएसवाई के बदले राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक हिस्से के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं में से एक, सरयू नहर परियोजना, सिद्धार्थ नगर जिले को लाभान्वित करती है। वर्ष 2020-21 से 2021-22 के दौरान इस परियोजना के लिए 358.21 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है और इस अवधि के दौरान इस परियोजना द्वारा 17.78 हजार हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

इसी प्रकार, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत शामिल महाराष्ट्र की परियोजनाओं में से एक, अर्थात् नंदूर माधमेश्वर चरण-II परियोजना, औरंगाबाद जिले को लाभान्वित करती है। यह परियोजना जून, 2018 में पूरी हुई थी।

पात्रता मानदंडों और निधियों की उपलब्धता होने की शर्त पूरा हो के अधीन पीएमकेएसवाई के एआईबीपी, एसएमआई, आरआरआर और डब्ल्यूडीसी घटकों/उप-घटकों के तहत नई परियोजनाएं या स्कीमें शुरू की जा सकती हैं।

(ग): चालू वित्त वर्ष के दौरान पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के तहत बजट निम्नानुसार है:

पीएमकेएसवाई के घटक	वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित बजट आवंटन (आरई) करोड़ रूपये में
पीएमकेएसवाई-एआईबीपी	1,800
पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-सीएडीडब्ल्यूएम	140
पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-एसएमआई और आरआरआर	427
पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू	127
पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी	1,000

(घ): किसानों के लाभ के लिए भूमि के खेती योग्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन का कार्य संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, भारत सरकार चिह्नित सिंचाई परियोजनाओं के लिए अपनी मौजूदा स्कीमों के अंतर्गत तकनीकी सहायता के साथ-साथ आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें बढ़ावा देती है, हाल ही में, इस संबंध में भारत सरकार की कुछ प्रमुख पहलें नीचे दी गई हैं।

1. वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के विस्तार को भारत सरकार द्वारा 93,068.56 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय (37,454 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता, नाबार्ड को 20,434.56 करोड़ रुपये की ऋण सेवा और राज्य सरकारों द्वारा राज्य के हिस्से के रूप में 35,180 करोड़ रुपये के परिव्यय) के साथ अनुमोदित किया गया है।
2. अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार 13,651.61 करोड़ रुपये की अनुमानित शेष लागत वाली महाराष्ट्र की 8 एमएमआई और 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक

विशेष पैकेज को वर्ष 2018-19 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त पैकेज के लिए केंद्रीय सहायता घटक 3,831.41 करोड़ रुपये है, जिसमें 3.77 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है।

3. जून, 2018 में, भारत सरकार ने 2,715.70 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ जम्मू-कश्मीर और पंजाब को लाभान्वित करने वाली शाहपुरकंडी बांध (राष्ट्रीय) परियोजना के लिए वित्तीय सहायता को अनुमोदित कर दिया है। इस परियोजना के लिए अनुमोदित केंद्रीय सहायता देयता 485.38 करोड़ रुपये है।
4. दिसंबर, 2021 में, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में क्रमशः रेणुकाजी बांध और लखवार बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता को अनुमोदित कर दिया है। इन दोनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्रमशः 6,946.99 करोड़ रुपये और 5,747.17 करोड़ रुपये है।
5. दिसंबर, 2021 में, भारत सरकार ने 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में केन-बेतवा लिंक परियोजना को भी अनुमोदित किया है।

*****